

ई-मेल

प्रेषक,

नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर्स)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय कक्ष सं 01
जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद ।

सेवा में,

श्रीमान संयुक्त निबन्धक (जे)/सी.पी.सी
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद ।

विषय : जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में न्यायालय फर्रुखाबाद में कुर्सियों की बुनाई सामग्री के नमूने सहित का टेण्डर/कोटेशन माननीय उच्च न्यायालय की वेब-साइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद की क्रय समिति के आदेश दिनांकित 19.08.2025 के अनुपालन में कुर्सियों की बुनाई सामग्री के नमूने सहित टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किया जाना है, इच्छुक फर्म/दुकानदार दिनांक 30.08.2025 को शाम 04.30 बजे तक अपने-अपने टेण्डर/कोटेशन बन्द लिफाफों में केन्द्रीय नजारत में डाक द्वारा अथवा कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में केन्द्रीय नाजिर को प्राप्त करा सकता है। जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है, माननीय उच्च न्यायालय की वेब-साइट पर अपलोड होनी है ।

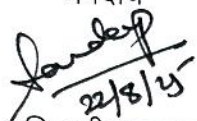
अतः आपसे अनुरोध है की उपरोक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय की वेब-साइट पर अपलोड कराए जाने की कृपा करें ।

सादर ।

दिनांक – 22.08.2025

संलग्नक - यथोपरि

कार्यालय जनपद न्यायाधीश
पत्रांक-2265/XX दिनांक-22.08.2025
अवकाशित
जनपद न्यायाधीश
फर्रुखाबाद

भवदीय

नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर्स)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय कक्ष सं 01
जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद ।

कार्यालय क्रय समिति, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद।

सूचना

जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में कुर्सियों की बुनाई हेतु बुनाई सामग्री के नमूने सहित टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कुल 60 कुर्सियाँ बुनाई हेतु उपलब्ध हैं। बुनाई हेतु कुर्सियों में से 51 सीट, 01 बैक एवं 08 सीट व बैक की बुनाई होनी है। इससे पूर्व सूचना दिनांकित 04.08.2025 से टेण्डर/कोटेशन दिनांक 19.08.2025 तक आहूत किये गये थे किन्तु कोई भी टेण्डर/कोटेशन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः इच्छुक फर्म/दुकानदार/बुनाई कर्ता दिनांक 30.08.2025 को सायं 04.30 बजे तक अपने-अपने नमूने सहित टेण्डर/कोटेशन बन्द लिफाफों में केन्द्रीय नजारत में डाक द्वारा अथवा कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में केन्द्रीय नाजिर को प्राप्त करा सकते हैं।

K 19.08.2025

दिनांक: 19.08.2025

(डा. अनिल कुमार सिंह-II)

अध्यक्ष, क्रय समिति,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।
- 2- जिला न्यायालय, फर्रुखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 3- कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 9- शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1607/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated May 10, 2024 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

दिनांक: 19.08.2025

K 19.08.2025

(डा. अनिल कुमार सिंह-II)

अध्यक्ष, क्रय समिति,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
फर्रुखाबाद।

Seen. SA to upload this information
on district court website and computer
clerk to do the needful.

110
21/08/2025